



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5861

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 89 वर्ष 2026

अल्गू राम

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता	:	अभिषेक मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	ए.एस.जी.आई., ईशान शिशु

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा की ओर से श्री अक्षय कुमार श्रीवास्तव (ए/एस 1501/2023) और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ईशान शिशु को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता सहायक डाककर्मी था और जब उसे ग्रेच्युटी से वंचित किया गया तो उसने रिट याचिका संख्या 10307 वर्ष 2024 (अल्गू राम बनाम भारत संघ और 2 अन्य) के खारिज होने के बाद प्रतिवादियों के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया, जिसे 05.09.2024 को खारिज कर दिया गया और उसमें चुनौती दिए गए आदेश को रद्द कर दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य; एआईआर 1997 एससी 1125** में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत रिट याचिका खारिज की जाती है, जबकि रिट याचिकाकर्ता को मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधिकरण के



समक्ष प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(v) के तहत एक मूल आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.